नारियल उत्पादक समिति

भले ही कई नारियल उत्पादक राज्यों में को-ओपरेटीव आंदोलन गहरी जडें पकडा है फिर भी अधिकतर नारियल किसान अब भी असंगठित हैं। इसके फलस्वरूप लघु और सीमांत जोतों से नारियल के उत्पादन और उत्पादकता बढाने का प्रयास घटिया परिणाम दर्शाता है। यह महसूस किया है कि लघु और सीमांत किसानों की समिति के रूप में एक आंदोलन से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने नारियल उत्पादक समिति (सीपीएस) के गठन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु आगे आया है। बोर्ड की उम्मीद है कि इन समितियाँ खरीद, प्रसंस्करण और विपणन गतिविधियों में सामूहिक रूप से प्रवेश करेंगे। बोर्ड ने लघु और सीमांत बागों के पट्टेधारों को एकत्रित करने और उन्हें चैरिटबिल सोसाइटीस अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की योजना बना है।

किसानों को सीपीएस के लाभ

1. किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीके अपनाने के लिए सक्षम बनाता है।
2. किसानों को उत्पादन, पौध संरक्षण, प्रसंस्करण और विपणन में नयी प्रौद्योगिकियों के साथ परिचित हो जाने के लिए अवसर।
3. सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से खेती की लागत कम करने के लिए अवसर।
4. गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, उर्वरक, कीटनाशक आदि उचित दर पर उपलब्ध कराना।
5. छोटे और मध्यम स्तरीय नर्सरियों की स्थापना।
6. जैव खाद इकाइयों और खोपरा ड्रायरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।
7. विपणन के लिए बेहतर अवसर।
8. अध्ययन दौरे, प्रदर्शिनियों आदि में भागीदारी।
9. डाब की खरीद, एकत्रीकरण और विपणन।

प्रत्याशित भावी लाभ

1. नारियल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता के लिए प्राथमिकता।
2. अपने उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर सुविधाएँ।
3. समितियों के फेडरेशनों द्वारा मध्यम स्तरीय इकाइयों की स्थापना का अवसर।
4. समितियों, उसके फेडरेशनों और उत्पादक कंपनियों के द्वारा नारियल और नारियल उत्पादों के निर्यात का अवसर।
5. सरकार के मूल्य समर्थन योजना संचालन के समय पर मान्यता प्राप्त खोपरा/ नारियल प्रापण एजेंसी के रूप में भूमिका।
6. उत्पादक कंपनियाँ बनाने का अवसर जिसमें सीपीएस या उसके फेडरेशन हिस्सेदार होंगे। ये कंपनियाँ बोर्ड की प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता का उपयोग करते हुए उच्च निवेशों की आवश्यकतावाले परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं।

कौन सदस्य हो सकते हैं?

10 फलदायी पेडोंवाले किसान सीपीएस का सदस्य बन सकता है। उक्त मानदंड के अनुसार पात्र सभी नारियल किसानों को उनके / उनकी क्षेत्र के सीपीएस के सदस्य के रूप में दाखिल किया जाना चाहिए। संहत क्षेत्र से लगभग 40-100 किसान हो सकते हैं। प्रत्येक समिति के योजना क्षेत्र को प्राकृतिक / भौगोलिक सीमाओं द्वारा निर्धारित करना आवश्यक है। समिति को चैरिटबिल सोसाइटीस अधिनियम के तहत पंजीकृत करना होगा। प्रवेश शुल्क 100 रुपए और वार्षिक सदस्यता शुल्क 20 रुपए है। समिति को किसी राजनीतिक हित नहीं होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। समिति का

शासन निर्वाचित अध्यक्ष और छह कार्यकारी समिति सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति करेगी। ऐसी समिति को नारियल विकास बोर्ड के साथ पंजीकृत करना चाहिए। समिति के उपनियमों में संशोधन करने के लिए बोर्ड से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना चाहिए।

सीपीएस के पंजीकरण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ें प्रस्तुत करनी चाहिएः

1. चैरिटबिल सोसाइटीस अधिनियम के तहत बनाया गाया पंजीकरण प्रमाणपत्र की सही प्रतिलिपि।
2. समिति के एसोसियेशन का उपनियम एवं ज्ञापन की प्रतिलिपि।
3. बैठक का कार्यवृत्त जिसमें नारियल विकास बोर्ड के साथ समिति का पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया है।
4. निर्धारित प्रपत्र में सदस्यों का ब्यौरा।
5. समिति के योजना क्षेत्र का साफ और स्पष्ट स्व निर्मित स्केच।

नारियल विकास बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए पात्र समिति को अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड, कोची-682 011 के हित में एरणाकुलम/कोची में देय 200 रुपए के डिमांट ड्राफ्ट से भुगतान करना होगा। पंजीकरण की वैधता दो वर्ष होगा। समिति को अपना पंजीकरण समाप्त होने के एक महीने पहले 100 रुपए का भुगतान करके नवीकरण करना चाहिए।

बोर्ड के साथ सीपीएस के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र इस पते पर प्रस्तुत करें-

अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड, केरा भवन, एसआरवी रोड, कोची - 682 011

नारियल उत्पादक समिति के उपनियम का नमूना

1. नामः समिति का नाम .....नारियल किसान कल्याण समिति होगा।

2. अधिकार क्षेत्रः समिति का कार्य-क्षेत्र.....राज्य में.....पंचायत/नगर पालिका / नगर निगम के .....वार्ड होगा।

3. मुख्यालयः समिति का मुख्यालय .....पर होगा। (पूरा पता लिखें)

4. लक्ष्यः समिति के लक्ष्य होंगे;

(i) कार्य-क्षेत्र में रहनेवाले नारियल किसानों की सामाजिक-आर्थिक उद्धार।

(ii) सदस्यों और उनके परिवार सदस्यों के सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शैक्षणिक स्थितियों को सुधारना और समिति के सदस्यों के लिए उचित कल्याणकारी उपाय शुरू करना।

(iii) नारियल आधारित खेती में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ और प्रस्तुत क्षेत्र में कार्यरत संगठन के सहयोग से प्रदर्शिनी, विदेश अध्ययन पैकेज में भागीदारी सहित संबद्ध गतिविधियाँ शुरू करना ।

(iv) नारियल के उत्पादन, संरक्षण, प्रसंस्करण और विपणन में नूतन प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार करना।

(v) राज्य कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और सीपीसीआरआई द्वारा सिफारिश की गई कृषि प्रणालियों को अपनाने में मदद करना।

(vi) नारियल विकास बोर्ड और समिति के किसानों के बीच एक संपर्क-सूत्र के रूप में भूमिका निभाके छोटे कृषकों की उत्पादकता सुधारने और प्रसंस्करण एवं विपणन के ज़रिए उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद करना।

(vii) खेती लागत कम करने और कृषि आदान सामग्रियों के प्रयोग की क्षमता सुधारने के लिए उपाय अपनाना।
(viii) समिति के सदस्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियाँ उपलब्ध कराना।
(ix) सदस्यों के लिए उचित दर पर कृषि आदान सामग्रियाँ / उपस्कर प्राप्त करके उपलब्ध कराना।
(x) नारियल की गुणवत्ता सुधारने और प्राथमिक स्तरीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गतिविधियाँ लागू करना।
(xi) उत्पादन का एकत्रीकरण और किसानों के उत्पादों का सामूहिक विपणन शुरू करना।
(xii) नारियल आधारित उत्पाद विविधीकरण और मूल्य वर्धन के लिए उपाय अपनाना।
(xiii) नारियल विकास बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना।
(xiv) प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, ऋण के जरिए निधि जुटाना और नारियल विकास बोर्ड, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता उपलब्ध करना।

5. सदस्यता

समिति के कार्य-क्षेत्र में रहनेवाले नारियल उत्पादक, जिनको कम से कम 10 फलदायी नारियल पेड हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सदस्य बन सकते हैं-

(क) सदस्यों को 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए ताकि समझौते बनाने के लिए पात्र हो जाए।
(ख) सदस्यों को निर्धारित प्रवेश शुल्क और वार्षिक सदस्यता शुल्क का यथासमय भुगतान करना होगा।
(ग) समिति के नियमों एवं विनियमों का पालन करना होगा।
(घ) उप नियमों के अनुसार समिति के उद्देश्यों के प्रतिकूल होनेवाले किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।
(ङ) समिति द्वारा आवश्यक विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर समिति को अपना उत्पाद देने के लिए तैयार होना चाहिए।
(च) एक परिवार का एक ही सदस्य समिति की सदस्याता लेने के लिए पात्र है।
(छ) समिति की आवश्यकतानुसार डाब, छिलका निकाला गया नारियल, खोपरा आदि के रूप में अपने नारियल देने के लिए तैयार होना चाहिए।

उपरोक्त किन्हीं भी शर्तों के पालन करने में असफल होनेवाले सदस्यों की सदस्यता स्वतःसमाप्त हो जाएगा। किसी भी सदस्य, जिसका समिति के साथ कोई दायित्व नहीं है, किसी भी वक्त अपनी सदस्यता छोड़ने के लिए पात्र है। ऐसे सदस्यों को समिति को दिए गए किसी भी शुल्क वापस प्राप्त नहीं होगा।

सदस्यता लेने को इच्छुक किसान 100 रुपए के प्रवेश शुल्क और वार्षिक सदस्यता शुल्क 20 रुपए सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भेजें। समिति को वार्षिक सदस्यता शुल्क अप्रैल के पहले ही अदा किया जाए।

6. निधि

समिति के लिए निधि निम्नलिखित तरीके से जुटायी जाएः

(1) प्रवेश शुल्क
(2) वार्षिक सदस्यता शुल्क
(3) सहकारिता समितियाँ, निजी बैंक आदि से चंदा
(4) गैर सदस्य /बैंक /अन्य वित्तीय संस्थाएं /एक्स्चेंज /नाविबो /चंदा /जमा, ऋण आदि से भी

निधि जुटायी जा सकती है।

7. आम सभा

समिति के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर आम सभा का परमाधिकार है जिसकी साल में कम से कम एक बार बैठक बुलानी होगी। प्रत्येक आम सभा बैठक के लिए सात दिनों के पहले सूचना जारी करनी होगी। समिति की पंजीकरण तारीख के तीन महीने के भीतर पहली आम सभा आयोजित की जाएगी और इसमें विशेषकर सभी सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए। उसके बाद आम सभा प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले तीन महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। ऐसी आम सभा का कोरम कुल सदस्यता की एक तिहाई या 20 सदस्य, जो भी कम हो, है। समिति के कार्यसंचालन की समीक्षा के लिए और भविष्य की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए तीन महीनों में एक बार आम सभा अलग से आयोजित होगी। आपातकालीन स्थिति में, या विशेष मामले में या आकस्मिक प्रकृति के मामले निपटाने के लिए सदस्यों के एक तिहाई के लिखित अनुरोध पर भी आम सभा बुलाई जा सकती है।

8. आम सभा का अधिकार

समिति का परमाधिकार आम सभा पर निर्भर है। आम सभा उपनियमों में शामिल सभी मुद्दों पर कार्रवाई कर सकती है। आम सभा, सदस्यों से एक अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति का चुनाव कर सकती है। अध्यक्ष एक सक्रिय सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। चुनी गई कार्यकारी समिति का भी कार्यकाल तीन वर्ष है। यदि समिति नारियल विकास बोर्ड द्वारा पंजीकृत है, नारियल विकास बोर्ड, यदि आवश्यक समझता है तो, बोर्ड के किसी अधिकारी को कार्यकारिणी समिति में नामित कर सकता है। आम सभा धोखा, गंभीर दुराचार आदि प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से आयोजित बैठक में चुने गए अध्यक्ष या कार्यकारी समिति सदस्यों को इस संबंध में अगर संकल्प दो तिहाई बहुमत से पास करने पर उनके निर्धारित अवधि के पहले अपने पद से निकाली जा सकती है। वार्षिक सदस्यता शुल्क का समय पर भुगतान नहीं करनेवाले सदस्य कार्यकारिणी समिति या अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए हकदार नहीं होंगे।

आम सभा जाँच के बाद वार्षिक कार्य समिति रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरणों का अनुमोदन करने के लिए प्राधीकृत है। पहली वर्ष की लेखा परीक्षा कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जा सकता है और आगामी वर्षों में आम सभा द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक करेंगे। नारियल विकास बोर्ड, यदि आवश्यक हो तो, लेखापरीक्षक को नामित कर सकता है जिन्हें आम सभा द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है। आम सभा को संशोधन या संशोधन के बिना बजट का अनुमोदन करने का अधिकार है। आम सभा, समिति की भावी संभावनाएं और सुचारू संचालन के लिए नीतिगत मामलों पर या यहां तक कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी, आवश्यक हो जाने पर, परामर्श प्रस्तुत किया जाएगा। आम सभा समिति और सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई लेने के लिए अध्यक्ष या कार्यकारिणी समिति को निदेश दिया जा सकता है। अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के सदस्य आम सभा के संकल्प के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे संकल्पों के कार्यान्वयन के गैर-अनुपालन और देरी के कारण उत्पन्न होनेवाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे।

9. चुनाव

नया अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए मार्च 31 के पहले प्रत्येक तीसरे वर्ष में आम सभा की विशेष बैठक संपन्न हो जाएगी।

10. समिति का वर्ष

समिति का वर्ष आनेवाले कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

11. प्रशासन

समिति का प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों पर निर्भर है। समिति के कार्यालय में सदस्यों और उनके नारियल जोतों के बारे में ब्यौरा रिकार्ड करने के लिए एक रजिस्टर बनाया रखा है जो कार्यालय में कार्यालयीन समय पर निरीक्षण करते वक्त प्रस्तुत करना होगा। समिति के संस्थापन प्रलेख, नियम और विनियम, उपनियम, यदि हो तो, कार्यालय में रखने होंगे और निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने होंगे। कार्यकारिणी समिति को परिकल्पित उद्देश्यों और नीतियों तथा समय समय पर संशोधित नियम एवं विनियमों के अनुसार समिति का शासन करना होगा। कार्यकारिणी समिति का कोरम कम से कम चार कार्यकारिणी समिति सदस्य होगा। महीने में कम से कम एक बार या जब भी ज़रूरत पड़ने पर समिति की बैठक संपन्न होगी। नारियल विकास बोर्ड, वित्तीय संस्थाओं, प्रसंस्करण समितियों, सहकारी नारियल विपणन समिति की प्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। कार्यकारिणी समिति को चुने गए कार्यकारिणी समिति सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का चयन करना होगा। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की सेवाएं निःशुल्क होती हैं। प्रत्येक सदस्य को एक ही मत (वोट) होगा। आम सभा के सम्मुख आनेवाले सभी मुद्दों पर निर्णय ज्यादातर बहुमत पर लिया जाएगा। अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। समिति का कोई दायित्व न रखनेवाले कार्यकारिणी समिति सदस्य किसी भी समय पर इस्तीफा दे सकते हैं। तथापि कार्यकारिणी समिति जिस तारीख से इस्तीफा स्वीकार करती है उस दिन से इस्तीफा प्रभाव में आ जाएगा।

सदस्य जो अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना कार्यकारिणी समिति के तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित हो जाने पर सदस्य नहीं रहेगा। कार्यकारिणी समिति में आनेवाली रिक्ति सहयोगित सदस्यों द्वारा भरा दिया जा सकती है।

12. कार्यकारिणी समिति का अधिकार

(1) कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुपालन से अध्यक्ष को समिति के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी लेनदेन और स्रोतों के उपयोग करने के लिए प्राधीकृत किया जाएगा। कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष को समिति की दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक किसी भी अधिकार प्रदान कर सकती है।

(2) अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित बयानों और विवरण, समिति और शासकीय निकाय के सदस्यों की सूची और अन्य सूचनाएं रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना।

(3) समिति के पंजीकरण के तीन महीने के भीतर प्रथम और तत्पश्चात् तीन महीनों में एक बार आम सभा आयोजित करना।

(4) आम सभा के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे और वार्षिक रिपोर्ट 30 अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत करना।

(5) नियम और विनियमों के अनुसार नए सदस्यों को शामिल करना।

(6) आवश्यक कृषि आदान सामग्रियाँ प्राप्त करके आपूर्ति करना और उनके बिखरे हुए उत्पादों को एकत्रित करके विपणन करना।

(7) संवीक्षा के पश्चात् और कार्यकारिणी समिति की उचित सिफारिशों के साथ आम सभा के सम्मुख वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(8) आम सभा के सम्मुख समिति के कार्यसंचालन के लिए बजट प्रस्तुत करना।

(9) किसानों के लिए उपयोगी कृषि विकास परामर्श कार्यक्रम आयोजित करना।

(10) कार्यकारिणी समिति द्वारा संवीक्षा करने के पश्चात् समिति के मासिक प्राप्तियों और आय लेखों का अनुमोदन करना।

(11) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद लेखा परीक्षा के लिए प्राप्ति और भुगतान, आय और व्यय तथा तुलन पत्र को दर्शानेवाले वार्षिक लेखा तैयार करना।

(12) किसी भी राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक में खाता खोलना और बैंक से संबंधित पत्राचारों के लिए अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष या कार्यकारिणी समिति के किसी भी दो सदस्यों को प्राधीकृत करना।

(13) निधि का उचित उपयोगिता सुनिश्चित करना।

13. अध्यक्ष का अधिकार

(1) अध्यक्ष को आम सभा और कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करनी होगी। मत (वोट) की समानता की स्थिति में उन्हें निर्णायक मत का प्रयोग करना होगा।

(2) उनको अनुमोदित बजट के भीतर आकस्मिक व्यय का अनुमोदन करने का प्राधिकार है, जिसका उन्हें, कार्यकारिणी समिति और आम सभा की आगामी बैठक में पुष्टि प्राप्त करनी होगी।

(3) कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुसार समिति का प्रबंधन और अन्य गतिविधियाँ अध्यक्ष के नियंत्रण में होगा।

(4) समिति के नीतिगत मामलों को अध्यक्ष की सिफारिशों सहित कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष को जनता, सरकारी एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ संपर्क करना होगा।

(6) अध्यक्ष को नारियल विकास बोर्ड, प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय संस्थायें आदि के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए पहल भी करना होगा।

(7) अध्यक्ष को शासकीय निकाय द्वारा परिकल्पित अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य अधिकारों का भी प्रयोग करना होगा।

(8) अध्यक्ष अप्रत्याशित आकस्मिक व्यय उठाने के लिए अपने पास 1,000 रुपए तक रखने के लिए हकदार है।

14. उपाध्यक्ष का अधिकार

उपाध्यक्ष को कार्यकारिणी समिति के निदेश के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग करना होगा।

15. अधिकार का प्रत्यायोजन

अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की सहमति से स्व निहित किसी भी अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रयोग हेतु समिति के किसी भी सदस्य को प्राधीकृत किया जा सकता है।

16.विविध

(1) समिति को आर्थिक सुरक्षा एवं भावी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से अलग से एक विकास निधि बनाई रखनी होगी, किंतु नारियल विकास बोर्ड की सहमति से ही इसका संचालन किया जाएगा।

(2) समिति की ओर से सभी लेन-देन अध्यक्ष के नाम पर होगा।

(3) समिति को खेती, खेत स्तरीय प्रसंस्करण सहित किसी भी कल्याण गतिविधियाँ और तत्संबंधी गतिविधियाँ और कार्यान्वयन हेतु समय समय पर उचित योजना बनाने के लिए एक कल्याण निधि बनाई रखनी होगी।

(4) समिति उन मदों के लिए, जिनका उपनियम में उल्लेख नहीं किया गया है, समिति पंजीकरण अधिनियम और नियम के अनुसार नियम और विनियम बना सकती हैं। तथापि उन मदों के लिए, जिनका पहले ही उपनियम में उल्लेख किया गया है और जो समिति पंजीकरण अधिनियम और नियम के विपरीत हैं, नियम और विनियमों का रूपायन मात्र समिति अधिनियम और नियमों के अनुसार ही होगा।

सदस्यता के लिए आवेदन पत्र

1. नाम और पता :…….
……
……
2. लिंग (पुरुष/स्त्री) :……
3. शैक्षिक योग्यताएं :……
4. उम्र और जन्म तिथि :……
5. रोज़गार और आय का मुख्य स्रोत :…….
6. स्थायी पता :……
7. पत्राचार के लिए पता :……...
8. दूरभाष :……
9. ई-मेल पता -……
10. आवेदक के परिवार के अधीन कुल भूमि (सेंट में) ……
11. भूमि का सर्वेक्षण संख्या …….
12. स्थानीय स्वशासन संस्था का नाम जिसके अंतर्गत भूमि आती है
13. समिति की सीमाओं के भीतर आवेदक और उनके परिवार के नारियल खेती का ब्यौरा

क. नारियल बागान के तहत भूमि (सेंट में) …….
ख. नारियल पेड़ों की संख्या ……
ग. फलदायी पेड़ ……
घ. गैर फलदायी पेड़ …….
ङ. नारियल के वार्षिक औसतन उत्पादन ……..

शपथ-पत्र

मैं एतद्द्वारा बयान देता/ती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान
दिनांक आवेदक का हस्ताक्षर

नारियल विकास बोर्ड के साथ नारियल उत्पादक समिति(सीपीएस) के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

1. सीपीएस का नाम और पता :…….
……

……

ई-मेल :…….

2. पंजीकरण संख्या और पंजीकरण तिथि …….

3. सीपीएस के पदाधिकारी का नाम और पता

क) अध्यक्ष :…….

……

……

दूरभाष ……

ख) उपाध्यक्ष:……

……

……

दूरभाष ……

4. स्थानीय स्वशासन संस्था का नाम जिसके अंतर्गत सीपीएस का कार्यक्षेत्र आता है :……

5. कृषि /बागवानी कार्यालय का नाम जिसके अधीन सीपीएस का कार्यक्षेत्र आता है :……

6. सीपीएस के सदस्यों की संख्या :……

7. सीपीएस के तहत नारियल खेती का ब्यौरा

8. नारियल खेती का क्षेत्र :……..एकड़/ हे.

क) नारियल पेड़ों की संख्या :फलदायी…....गैर फलदायी……

9. नारियल का औसतन वार्षिक उत्पादन :……

शपथ-पत्र

मैं एतद्द्वारा बयान देता/ती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ों में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। मैं एतद्द्वारा वचन भी देता/ती हूँ कि मैं सीपीएस के सुचारू संचालन के लिए समय समय पर नारियल विकास बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करूँगा/गी।

स्थान

दिनांक आवेदक का हस्ताक्षर

सीपीएस के सदस्यों के ब्यौरे

क्र.सं	नाम और पता	सदस्य और परिवार के अधीन भूमि (सेंट में)	सीपीएस की सीमाओं के भीतर नारियल खेती का विस्तार (सेंट में	नारियल पेडों की संख्या	फलदायी पेडों की संख्या	वार्षिक नारियल उत्पादन